"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]		रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 16, शक 1939

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–54/2016/34–1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तो के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2017 कहलायेंगे।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**– ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची–एक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अनुसूची–एक के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी;
   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची–तीन एवं चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय चयन समिति/पदोन्नति समिति;
   (ग) **"प्रमुख अभियंता"**, **"मुख्य अभियंता"**, **"अधीक्षण अभियंता"**, **"कार्यपालन अभियंता"** एवं **"सहायक अभियंता"** से अभिप्रेत है तत्स्थानी प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैं;
   (घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
   (ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
   (च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (चतुर्थ श्रेणी) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें, पदोन्नति एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची–एक, दो, तीन एवं चार में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

5. **भर्ती का तरीका.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

6. **आरक्षण.**– (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

7. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

8. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

9. **निरसन.**– इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.

अनुसूची—एक
पद का नाम

(नियम 4 देखियें)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान + ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राज्य स्तरीय संवर्ग					
1.	दफ्तरी	04	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1400	प्रमुख अभियंता
2.	भृत्य	28	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	—तदैव—
3.	चौकीदार	01	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	—तदैव—
अराज्य स्तरीय संवर्ग					
1.	हेल्पर	347	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	संबंधित मंडल के अधीक्षण अभियंता
2.	चौकीदार	519	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	—तदैव—
3.	लाईनमेन	15	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1400	—तदैव—
4.	क्लीनर	16	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	—तदैव—
5.	दफ्तरी	29	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1400	—तदैव—
6.	भृत्य	260	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440+1300	—तदैव—

अनुसूची–दो
(नियम 4 देखिये)

स.क्र.	कर्तव्य पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति	अन्य सेवा से व्यक्तियों का स्थानांतरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			राज्य स्तरीय संवर्ग			
1.	दफ्तरी	04	–	100%	–	वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के अनुसार प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत भृत्य राज्य स्तरीय संवर्ग से
2.	भृत्य	28	100%	–	–	–
3.	चौकीदार	01	100%	–	–	–
			अराज्य स्तरीय संवर्ग			
1.	हेल्पर	347	100%	–	–	–
2.	चौकीदार	519	100%	–	–	–
3.	लाईनमेन	15	75%	25%	–	–
4.	क्लीनर	16	100%	–	–	–
5.	दफ्तरी	29	–	100%	–	वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के अनुसार अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत भृत्य राज्य स्तरीय संवर्ग से
6.	भृत्य	260	100%	–	–	–

अनुसूची–तीन
(नियम 4 देखिये)

स. क्र.	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा वर्ष में	अधिकतम आयु सीमा वर्ष में	विहित शैक्षणिक अर्हता	विभागीय चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हेल्पर / क्लीनर	18 वर्ष	30 वर्ष	8 वीं उत्तीर्ण	1. अधीक्षण अभियंता (संबंधित मंडल) – अध्यक्ष 2. कार्यपालन अभियंता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)– सदस्य 3. कार्यपालन अभियंता– सदस्य 4. कार्यपालन अभियंता– सदस्य
2.	लाईनमेन	18 वर्ष	30 वर्ष	हायर सेकेण्डरी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वायरमेन ट्रेड का प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये।	–तदैव–
3.	भृत्य / चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष	8 वीं उत्तीर्ण	राज्य स्तरीय संवर्ग हेतु 1. अधीक्षण अभियंता (प्रमुख अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट) – अध्यक्ष 2. कार्यपालन अभियंता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)– सदस्य 3. कार्यपालन अभियंता– सदस्य 4. कार्यपालन अभियंता– सदस्य अराज्य स्तरीय संवर्ग हेतु 1. अधीक्षण अभियंता (संबंधित मंडल) – अध्यक्ष 2. कार्यपालन अभियंता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)– सदस्य 3. कार्यपालन अभियंता– सदस्य 4. कार्यपालन अभियंता– सदस्य

टीप– ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी किये गये निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 4 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम कालावधि	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			राज्य स्तरीय संवर्ग		
1.	भृत्य (प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	दफ्तरी (प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय)	1. अधीक्षण अभियंता (प्रमुख अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट) – अध्यक्ष 2. कार्यपालन अभियंता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) – सदस्य 3. कार्यपालन अभियंता – सदस्य 4. कार्यपालन अभियंता –सदस्य	वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के आधार पर भरे जायेंगे।
			अराज्य स्तरीय संवर्ग		
2.	हेल्पर / क्लीनर	10 वर्ष	लाईनमेन	1. अधीक्षण अभियंता (संबंधित मंडल) – अध्यक्ष 2. कार्यपालन अभियंता (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) – सदस्य 3. कार्यपालन अभियंता – सदस्य 4. कार्यपालन अभियंता – सदस्य	वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के आधार पर भरे जायेंगे तथा 8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
3.	भृत्य (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	दफ्तरी (अधीक्षण अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	–तदैव–	वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के आधार पर भरे जायेंगे

Naya Raipur, the 24th November 2017

NOTIFICATION

No. F-1-54/2016/34-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Public Health Engineering (Class-IV) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Public Health Engineering (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule-I as appended to these rules.

3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of service means the Officer as specified in column (6) of Schedule-I;

(b) "**Committee**" means the Departmental Selection Committee/ Promotion Committee as specified in Schedule-III and IV;

(c) "**Engineer-in-Chief**", "**Chief Engineer**", "**Superintending Engineer**", "**Executive Engineer**" and "**Assistant Engineer**" means the officers of the corresponding categories in the Public Health Engineering Department;

(d) "**Examination**" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(h) "**Schedule**" means the Schedule appended these rules;

(i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "**Service**" means Chhattisgarh Public Health Engineering (Class-IV) Services;

(i) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications, promotion and other conditions of service relating to the posts shall be such as specified in the Schedule-I, II, III and IV appended to these rules:
Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment. -** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit.

6. **Reservation-** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

7. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

8. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHLA NIGAR, Secretary.

SCHEDULE I
(See rule 4)

S. No.	Name of the post included in the Service	Total number of duty posts	Classification	Scale of pay +Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
STATE WIDE CADRE					
1.	Daftari	04	Class-IV	4750-7440+1400	Engineer-in-Chief
2.	Peon	28	Class-IV	4750-7440+1300	-do-
3.	Chowkidar	01	Class-IV	4750-7440+1300	-do-
NON STATE WIDE CADRE					
1.	Helper	347	Class-IV	4750-7440+1300	Superintending Engineer of concerned circle
2.	Chowkidar	519	Class-IV	4750-7440+1300	-do-
3.	Lineman	15	Class-IV	4750-7440+1400	-do-
4.	Cleaner	16	Class-IV	4750-7440+1300	-do-
5.	Daftari	29	Class-IV	4750-7440+1400	-do-
6.	Peon	260	Class-IV	4750-7440+1300	-do-

SCHEDULE –II
(See rule 4)

S. No.	Name of the duty post	Total number of duty post	Percentage of the duty post to be filled in			Remark
			Direct recruitment	Promotion of the substantive members of the Service	Transfer of person from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			STATE WIDE CADRE			
1.	Daftari	04	--	100 %	--	From State Wide Cadre Peon working in the office of Engineer-in-Chief/ Chief Engineer according to seniority-cum-fitness
2.	Peon	28	100 %	--	--	--
3.	Chowkidar	01	100 %	--	--	--
			NON STATE WIDE CADRE			
1.	Helper	347	100 %	--	--	--
2.	Chowkidar	519	100 %	--	--	--
3.	Lineman	15	75%	25%	--	--
4.	Cleaner	16	100 %	--	--	--
5.	Daftari	29	--	100 %	--	From Non-State Wide Cadre Peon working in the office of Superintending Engineer/ Executive Engineer/ Assistant Engineer according to seniority-cum-fitness
6.	Peon	260	100 %	--	--	--

SCHEDULE III
(See rule 4)

S. No.	Service and name of post	Minimum age limit in years	Maximum age limit in years	Prescribed educational qualification	Departmental Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Helper/ Cleaner	18 years	30 years	8th pass	1. Superintending Engineer (Concerned Circle) - Chairman 2. Executive Engineer (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Member 3. Executive Engineer – Member 4. Executive Engineer – Member
2.	Lineman	18 Year	30 Year	Should have passed Higher Secondary and have ertificate of Wireman Trade from Industrial Training Institute.	---do--
3.	Peon/ Chowkidar	18 Year	30 Year	8th pass	For State Wide Cadre 1. Superintending Engineer (Nominated by Engineer-in- Chief) - Chairman 2. Executive Engineer (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Member 3. Executive Engineer – Member 4. Executive Engineer – Member For Non State Wide Cadre 1. Superintending Engineer (Concerned Circle) - Chairman 2. Executive Engineer (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Member 3. Executive Engineer – Member 4. Executive Engineer – Member

Note– The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE IV
(See rules 4)

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum Period required to qualifying for promotion to the next Higher Post	Name of the posts to which promotion is to be made	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			STATE WIDE CADRE		
1	Peon (Office of Engineer-in-Chief/ Chief Engineer)	5 years	Daftari (Office of Engineer-in-Chief/ Chief Engineer)	1. Superintending Engineer (Nominated by Engineer-in-Chief) - Chairman 2. Executive Engineer (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Member 3. Executive Engineer – Member 4. Executive Engineer – Member	Shall be filled on the basis of seniority cum fitness.
			NON STATE WIDE CADRE		
2	Helper/ Cleaner	10 years	Lineman	1. Superintending Engineer (Concerned Circle) - Chairman 2. Executive Engineer (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Member 3. Executive Engineer – Member 4. Executive Engineer – Member	Shall be filled on the basis of seniority cum fitness and should have passed 8th class examination
3	Peon (Office of Superintending Engineer/ Executive Engineer/ Assistant Engineer)	5 years	Daftari (Office of Superintending Engineer/ Executive Engineer)	--do--	Shall be filled on the basis of seniority cum fitness.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.